राजस्थान सरकार
निदेशालय साक्षरता एवं सतत शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
डॉ0 एस.राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल, ब्लॉक-पंचम, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302017
☎ :- 0141-2708836 फैक्स नम्बर : 2709025, 2701445
E-mail : dir-lit-rj@nic.in, www.rajliteracy.org

साक्षर भारत

क्रमांक : प–13(28)सांख्यिकी / 2018 / 3115-3550 दिनांक : 16-7-2018

आदेश

निदेशालय साक्षरता एवं सतत् शिक्षा विभाग राजस्थान द्वारा समय – समय पर साक्षरता एवं सतत् शिक्षा से संबंधित केन्द्र प्रवर्तित विभिन्न योजनाऐं एवं राज्य मद की योजनाऐं संचालित की जाती रही है। इनमें संपूर्ण साक्षरता, उत्तर साक्षरता, सतत् शिक्षा, शिक्षण एवं व्यवसायिक प्रशिक्षण शिविर तथा साक्षर भारत कार्यक्रम आदि योजनाऐं प्रमुख है। ग्राम पंचायत स्तर पर इन योजनाओं का कियान्वयन एवं समन्वयन योजना के प्रावधानों के अनुसार अलग–अलग रूप में होता रहा है।

अब जबकि स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग द्वारा ग्राम पंचायत स्तर पर विद्यालयो के नियमित संचालन एवं प्रभावी मॉनिटरिंग हेतु पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी (PEEO) कार्यालय की स्थापना कर दी गयी है। साक्षरता निदेशालय भी प्रारम्भिक शिक्षा का ही अंग है, इस संदर्भ में साक्षरता संबंधी योजनाओं एवं कार्यकमों के संचालन, मॉनिटरिंग एवं समीक्षा का दायित्व भी ग्राम पंचायत स्तरीय पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी (PEEO) को दिया जाकर साक्षरता का प्रभारी नियुक्त किया जाता है।

अतः पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी को निदेर्शित किया जाता है कि संबंधित ग्राम पंचायत में संचालित साक्षरता संबंधि गतिविधियों की नियमित समीक्षा करे। साक्षरता के कार्यकमों में संधारित सामग्री / रेकार्ड का भौतिक सत्यापन कर व्यवस्थित रूप से संधारण सुनिश्चित करायें। साक्षर भारत कार्यक्रम के अन्तर्गत बेसिक साक्षरता से लाभान्वित नव साक्षरों एवं शेष वंचित असाक्षरों का रिकॉर्ड भी संधारित करावें। भविष्य में संचालित की जाने वाली साक्षरता संवंधी नवीन योजना के क्रम में विस्तृत दिशा निर्देश पृथक से जारी किये जायेगें।

(नरेशपाल गंगवार)
प्रमुख शासन सचिव
स्कूल शिक्षा, भाषा तथा पुस्तकालय विभाग एवं पंचायती राज
(प्रारम्भिक शिक्षा) विभाग, राजस्थान

क्रमांक : प–13(28)सांख्यिकी / 2018 / 3115-3550 दिनांक : 16-7-2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. आयुक्त एवं शासन सचिव, पंचायती राज विभाग।
2. विशिष्ट शासन सचिव, स्कूल शिक्षा।
3. आयुक्त,राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद कम विशिष्ट शासन सचिव, स्कूल शिक्षा।
4. निदेशक, माध्यमिक / प्रारम्भिक शिक्षा विभाग राजस्थान, बीकानेर।
5. जिला कलेक्टर, समस्त।
6. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् समस्त।
7. उप निदेशक माध्यमिक / प्रारम्भिक शिक्षा, समस्त।
8. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक / प्रारम्भिक शिक्षा, समस्त।
9. जिला साक्षरता एवं सतत् शिक्षा अधिकारी, समस्त को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार सामग्री के भौतिक सत्यापन एवं बेसिक साक्षरता रिकॉर्ड के संधारण एवं समीक्षा का कार्य सुनिश्चित करावें।
10. विकास अधिकारी, समस्त।
11. पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी (PEEO), को उपरोक्तानुसार पालनार्थ।
12. ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत, समस्त।

www.rajteachers.com

निदेशक